

सं.आरटीआई/551/1365/2015

दिनांक: 10 जुलाई, 2015

सेवा में,

श्री संजय शर्मा

101, नारायण टावर,

एफ-ब्लॉक, राजाजी पुरम,

लखनऊ- 226017, उत्तर प्रदेश

महोदय,

कृपया 23.06.2015 को प्राप्त दिनांक 16.06.2015 के अपने आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें, जिसमें आपने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगी है।

2. आपके आरटीआई आवेदन की मद सं. 1, 2, 3 एवं 8 के तहत मांगी गयी सूचना निम्नानुसार है:

मद सं. 1: विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का यूनाइटेड किंगडम के चांसलर से कोई पत्राचार नहीं हुआ है, इसलिए कोई सत्यापित प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

मद सं. 2: विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का "British Envoy" से कोई पत्राचार नहीं हुआ है, इसलिए कोई सत्यापित प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

मद सं. 3: विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को श्री ललित मोदी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोई सत्यापित प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

मद सं. 8: विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा वर्तमान सरकार में पद ग्रहण करने के बाद विदेशी मुल्कों को अनेक पत्र भेज गए हैं। इन पत्रों को संबंधित विभागों को फाईल कर दिया जाता है, इसलिए इन पत्रों की सत्यापित प्रतियां संबंधित विभागों द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

3. जहां तक शेष मदों का संबंध है, विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित सीपीआईओ को आरटीआई अग्रेषित कर दी गई है:


O/C
IA/11/15
15/7/15

- मद सं. 4: ईडब्ल्यू प्रभाग
मद सं. 5,6 एवं 7: सीपीवी प्रभाग
मद सं. 9 एवं 10: पीपी एवं आर प्रभाग
मद सं. 11: प्रोटोकोल प्रभाग
मद सं. 12: वित्त प्रभाग

"सूचना का अधिकार" के तहत उपरोक्त सीपीआईओ का संपर्क ब्यौरा विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.mea.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। सीपीआईओ, सीपीवी प्रभाग का संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्री जगपाल सिंह,
अनुभाग अधिकारी (सीपीवी-आरटीआई)
कमरा सं. 29,
सीपीवी प्रभाग
विदेश मंत्रालय,
पटियाला हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली

4. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर श्री बी. वनलालवावना, निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, कमरा सं. 4095, ए-विंग, जवाहर लाल नेहरू भवन, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011 (दूरभाष: 011-49015224, फैंक्स: 011-49015225) को अपील दायर कर सकते हैं।



(मीरा सिसोदिया)

अवर सचिव (आरटीआई)

कमरा सं. 2019, ए-विंग

जवाहर लाल नेहरू भवन,

23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011

दूरभाष: 49015226/49015227

द्वितीय जनसूचना अधिनियम

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली, भारत, पिनकोड - 110001

विषय: RTI Act के तहत आवेदन

अछेदक,

3834 RTI Sec/2015
22/06/2015
1365/15

कृपया भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी को travel documents की जासूसी फिलाने हेतु ब्रिटिश सरकार से विदे गये पत्राचार आदि से संबंधित निम्नलिखित सूचना दे:-

- ✓ (1) सुषमा स्वराज द्वारा यूनाइटेड किंगडम के चांसलर को लिखे गये सभी पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ दे।
- ✓ (2) सुषमा स्वराज द्वारा Bhanesh Chawla से विदे गये सभी पत्राचार की सत्यापित प्रतियाँ दे।
- ✓ (3) ललित मोदी द्वारा मानवीय आधार पर मदद हेतु भारत सरकार से सुषमा स्वराज को प्रेषित सभी पत्रों की संलग्नकों सहित सत्यापित प्रतियाँ दे।
- (4) ललित मोदी के पत्रों के प्राप्त होने से पहले सुषमा स्वराज द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों को पत्र लिखने तक की प्रक्रिया से संबंधित पत्रव्यवस्थाओं के अभिलेखों की जीटशीट्स सहित सत्यापित प्रतियाँ दे।
- (5) विभिन्न अपराधों के मुजरिमों को मानवीय आधार पर वीजा फिलाने में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भूमिका को विनियमित करने वाले नियमों की सत्यापित प्रतियाँ दे।
- (6) विभिन्न अपराधों के मुजरिमों को मानवीय आधार पर वीजा फिलाने में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भूमिका को विनियमित करने वाले नियमों की सत्यापित प्रतियाँ दे।
- (7) विगत 11 वर्षों में भारत सरकार द्वारा विभिन्न अपराधों के मुजरिमों और मुजरिमों को मानवीय आधार पर वीजा,

Impend from EAM (6) 23/11

20/11

MSR 23/11

P.T.O. - Contd. - (02)
Impend

relevant documents दिलाने से देखने दिये जाने के कुल प्रकरणों की संख्या की वर्षवार सूचना दे।

- (8) सुषमा स्वराज द्वारा वर्तमान सरकार से पदग्रहण से अबतक विदेशी मुल्कों को प्रेषित पत्रों की कुल संख्या की सूचना दे और इन सभी पत्रों की स्थापित प्रतियां दे।
- (9) भारत की वर्तमान विदेश नीति की स्थापित प्रति दे।
- (10) वर्तमान सरकार द्वारा पिछली सरकार की विदेश नीति से किए गए बदलावों की सूचना दे।
- (11) विगत 11 वर्षों में सरकारी स्तर पर विदेश यात्राओं पर गये प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों, खासदों, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों, अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों, प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों, प्रदेशों के विधानमंडलों के नगों की सूचना दे।
- (12) विदेश मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट और व्यय बजट की प्रकृति सूचना दे।

10/1 या IPO No. 29F 962686 संलग्न है। कृपया बिन्दुवार सूचना दे।

दिनांक : 16.06.2015

भवदीय
[Signature]

(श्री संजय शर्मा)

101, नारायणगट्टोवर
F 0 लॉक, राजाजीपुर
लखनऊ - 226017
उत्तरप्रदेश

3.7.9
[Handwritten marks]

[Handwritten marks]